उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

सरफेसी एक्ट वाद संख्या – 28/2017

एच0डी0फ0सी0 लि0 बनाम् अजीत कुमार श्रीवास्तव वगै0

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
21-02-2018	– आदेश –	

अभिलेख उपस्थापित। पुकार करने पर अपीलार्थी अनुपस्थित। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी प्राधिकृत्त पदाधिकारी, एच0डी0एफ0सी0लि0 (Housing Development Finance Corporation Limited), निबंधित कार्यालय– रोमन हाउस, एच0टी0 परेख मार्ग, 169, बेकबेय रिकलेमेशन, चर्चगेट, मुम्बई, 400020 एवं क्षेत्रीय कार्यालय– ब्रुक हाउस, दूसरा तल्ला, 9 शेक्सपीयर सरानी, कोलकाता–700071 द्वारा सेक्युरिटाइजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाइनन्सियल एसेट्स एण्ड इनफोर्समेंट ऑफ सेक्युरिटी इन्ट्रेस्ट एक्ट, 2002 की धारा 14 के तहत् अधोहस्ताक्षरी न्यायालय में वाद दायर किया गया है।

अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वाद दायर करने की अगली तिथि से अपीलार्थी लगातार अनुपस्थित चले आ रहे हैं, जिससे प्रतित् होता है कि अपीलर्थी की रूचि उक्त दायर वाद में नहीं हैं। अतः अपीलार्थी की उदासीनता को देखते हुए प्रवृष्टि के बिन्दु पर ही अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। इसी मंतव्य के साथ वाद की कार्रवाई बन्द की जाती है। अभिलेख अभिलेखागार में जमा करे।

लेखापित एवं संशोधित

21/2/18

उपायुक्त,
रामगढ़।

21/2/18

उपायुक्त,
रामगढ़।